न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन्, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
91/2022	26.05.2022	17.06.2022

अनवान

1. डालचन्द पिता भागा जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. दुर्गादेवी पुत्री चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. नारायण लाल पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. प्यारी बाई पत्नि चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. सुरेश चन्द्र पुत्र चुनीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पिता भगवानलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. गोपीलाल पिता किशना जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. राम लाल पिता नाथू जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. राधेश्याम पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. किशना पिता गंगाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. भगवान पिता भैरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. लक्ष्मण पिता हजारी जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. बाबरू पिता चुना भील आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. नारायण पिता बालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. कैलाश पिता शम्भु जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. गेहरी लाल पिता राम लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट	प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जाट	अप्रार्थी संख्या 2
शेष एकतरफा	अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 31 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 174, 175, 190, 208, 211, 228 कुल किता 6 कुल रकबा 3.65 है0 तथा खाता संख्या 32 के आराजी संख्या 209, 213 कुल किता 2 कुल रकबा 1.46 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की व आराजी संख्या 210 रकबा 0.12 है0 आ0चा0 प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 2,4,11 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 17.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 11 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। बहस प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 31 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 174, 175, 190, 208, 211, 228 कुल किता 6 कुल रकबा 3.65 है0 तथा खाता संख्या 32 के आराजी संख्या 209, 213 कुल किता 2 कुल रकबा 1.46 है0 व खाता संख्या 27 की आराजी संख्या 210 रकबा 0.12 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested

शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested